न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 42/2017/जिला भीलवाड़ा

देवीलाल पुत्र श्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0।

................अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती बगतु बाई पत्नि श्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

2. श्री हीरा लाल पुत्र श्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

3. श्रीमती नारायणी पत्नि श्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

4. श्रीमती गीता पुत्री श्री नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

5. श्रीमती समता पत्नि श्री रामेश्वर जाट उम्र वयस्क निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

6. सुश्री उर्मिला पुत्री रामेश्वर जाट ना0बा0ब0वि0 माता श्रीमती समता पत्नि श्री रामेश्वर जाट निवासी बरडोद तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

7. श्रीमान तहसीलदार साहब हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0

................रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा दिनांक 16.01.2017 प्रकरण संख्या 05/2016 में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0:–श्री मदनलाल गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री अशोक नाथ योगी(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–28.07.2022

संक्षित में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 1805,1963,1964,1965,1966,1967,1980,1984,1985,1986,1987,1988,2092 कुल किता 13 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा में नारायण पुत्र [illegible] जाट का 1/2 हक व हिस्सा था तथा आराजी संख्या 1729,1730,1731,1732,17[illegible] कुल किता 05 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा में नारायण पुत्र गोकल [illegible] हिस्सा था [illegible] आताचाह संख्या 1969 रकबा 02 बिस्वा में नारायण पुत्र [illegible]कल जाट का 1/[illegible]क हिस्सा निहित था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested

नारायण पुत्र गोकुल जाट की दो पत्नियां बघतुबाई और नारायणी है। नारायण द्वारा दिनांक 20.05.2014 को अपीलांट देवीलाल के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत करवायी गई। नारायण पुत्र गोकुल जाट की अब मृत्यु हो चुकी है। जिससे वसीयत प्रभावी हो चुकी है। तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा नामातंरण संख्या 1460 विरासत के आधार पर दिनांक 06.06.2014 को गलत आधार पर खोला गया। जबकि उन्हें वसीयत का आधार पर खोलना चाहिए था। इसकी अपील अपीलांट द्वारा एस0डी0ओ हमीरगढ़ में की जिसे उनके द्वारा पुनः रिमाण्ड कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रेषित किये। नामातंरण संख्या 1460 के विरूद्ध उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. नारायण पुत्र गोकुल जाट द्वारा जो वसीयत की गई थी, वह सही रूप से की गई थी। नारायण के हिस्से में आई भूमि उसकी स्वर्जित सम्पति ही मानी जायेगी। विरासत के आधार पर आदेश गलत सिरे से खोला गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये और तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.01.2017 को निरस्त किया जायें।

2. अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार हमीरगढ़ के द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 16.01.2017 एकतरफा में पारित किया गया था।

अपीलांट को इस निर्णय की जानकारी दिनांक 08.03.2017 को हुई जब रेस्पो0 द्वारा धमकी देकर उसे बताया गया कि प्रकरण का निस्तारण उनके पक्ष में हुआ है। दिनांक 09.03.2017 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया। दिनांक 10.03.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त की। फिर अधिवक्ता से सम्पर्क कर शीघ्र अतिशीघ्र अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जाये। अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 17.04.2017 को दर्ज होना पायी जाती है। जानकारी दिनांक से अपील को मियाद अवधि में माना जायेगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर देरी को क्षमा किया जाता है।

एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा स्थगन बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट ने यह प्रार्थना की है कि यदि अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित नहीं करवायी गई तो रेस्पो0 उसे बेदखल कर मौके पर काबिज हो जायेंगा। जिसकी वजह से उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः मौके और राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें। इसके साथ अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील के साथ किया जायेंगा।

अपील के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाने से रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि रेस्पो0 नम्बर 5 श्रीमती [illegible] पत्नि रामेश्वर रेस्पो0 6 सुश्री उर्मिला पुत्री रामेश्वर जाट निवासी बरडोद की अपील में दर्शाये गये पते पर तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: Self Attested

हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। किन्तु उन्हे तामील नहीं हुई। अतः उनकी तामील बन्द करने के निर्देश दिये जायें। इसका जवाब देते हुए रेस्पो0 ने अपने वकील के द्वारा यह कहा कि तलबी बन्द करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अखबार के माध्यक से तलबी करवायी जा सकती है। एक अन्य प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट द्वारा रेस्पो0 5 और 6 की तामील अखबार के माध्यम से करवाने हेतु प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया। वकील रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब लिखित में दिया गया। अपील को मियाद अवधि के बाहर बताते हुए इसे खारिज किया जायें। मय शपथ पत्र जवाब प्रस्तुत किये गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार विवादित भूमि ग्राम बरडोद में है। नारायण पिता गोकुल जाट के दो पत्नियां थी। नारायणी अपीलांट की मां है। जबकि बघतु रेस्पो0 की मां है। नारायणी द्वारा अपीलांट देवीलाल के पक्ष में दिनांक 20.05.2014 को वसीयत की थी। नारायण की मृत्यु हो चुकी है। नारायण की मृत्यु के बाद नामातंरण संख्या 1460 दिनांक 28.02.2016 से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा इसकी अपील एस0डी0ओ के यहां की गई। जो एस0डी0ओ द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार को रिमाण्ड की गई। तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा एक्स पार्टी या एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए धारा 135(2) के तहत सुनवाई कर सभी के नाम नामातंरण स्वीकार करने का आदेश दिया । जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई है। प्रथम पत्नि को ही अधिकार मिल सकते है। तहसीलदार ने यह नहीं बताया कि भूमि पैतृक है या स्वर्जित न ही वसीयत का परीक्षण तहसीलदार द्वारा करवाया गया। अपील स्वीकार की जायें।

वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि एक खाता जिसमें 13 खसरा नम्बर है। जिसका रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा है में नारायण पिता गोकुल का आधा हिस्सा तथा मांगीलाल पुत्र घीसा का आधा हिस्सा होता हैं। एक अन्य खाता जिसमें 5 खसरा नम्बर है जिसका रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा है में नारायण पुत्र गोकुल का हिस्सा 1/4 है। मांगीलाल पुत्र घीसा का 1/4 है तथा शेष अन्य का 1/2 हिस्सा निहित है। मोडाजी मूल पुरूष थे। उनके दो पुत्र गोकुल और घीसा हुए घीसा का पुत्र मांगीलाल हुआ और मांगीलाल के 6 वारिस है। गोकुल का पुत्र नारायण हुआ। नारायण के दो पत्नियां थी। बघतुबाई विवाहिता पत्नि थी और नारायणी नातायत पत्नि थी। नारायण की ब्याहाता पत्नि से पुत्र हीरालाल प्राप्त हुआ तथा नातायत पत्नि नारायणी बाई से देवीलाल व रामेश्वर तथा पुत्री गीता पैदा हुई। रामेश्वर का देहांत हो गया और उसकी पत्नि समता अपनी पुत्री उर्मिला को लेकर नाते चली गई। खसरा नम्बर 1997 का रकबा 2 बिस्वा है और यह गैर मुमकीन चाह के रूप मे दर्ज है। तहसीलदार के निर्णय में बघतु को प्रथम पत्नि बताया गया। वसीयत के रजिस्टर्ड होने मात्र से वसीयत सही है, यह नही माना जा सकता है। इसके लिए वकील अपीलांट द्वारा सुप्रीम कोर्ट 2009 [illegible] पेज 685 वोल्यूम 1 प्रस्तुत किये। वसीयत को सिद्ध करना आवश्यक है। इस [illegible] वकील रेस्पो0 द्वारा दी गई। डी0बी0/2016/ आरबीजे पेज 41 न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इस संदर्भ में 2010 [illegible] 1 पेज 206 में निर्णय दिया है। हमें प्राकृतिक विरासत से भूमि मिली है। दावा हमें नहीं, वसयीतकर्ता को लाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: Self Attested

पड़ेगा। इस हेतु वकील रेस्पो0 द्वारा आरआरडी 1998 पेज 553 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया है। भूमि स्वर्जित भूमि नहीं थी तथा पृथक भूमि में सभी का हक होता है। इस हेतु वकील रेस्पो0 द्वारा आरआरडी 2002 पेज 298 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत की है। वकील रेस्पो0 के अनुसार नारायण की स्थिति ठीक नहीं थी। 23 तारीख को अरिहन्त भीलवाड़ा से डिस्चार्ज किया गया था। वसीयत में गवाह के तौर पर कन्हैयालाल है। जो आटून का निवासी है। अतः अपीलांट देवीलाल का ससुर है। दूसरा गवाह लालाराम देवीलाल की लड़की का ससुर है। उक्त दोनो गवाह प्रभावित गवाह की श्रेणी में माने जायेंगे। वसीयत तहसील भीलवाड़ा में करवायी गई है। जबकि विवादित भूमि तहसील हमीरगढ़ की है। नारायणलाल द्वारा अपने पैनकार्ड पर हस्ताक्षर कर रखे है तथा वसीयत पर अंगूठा दर्ज है। जो संदिग्ध है। इस हेतु रेस्पो0 वकील ने आरआरडी 95 पेज 27 हाईकोर्ट का न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जिसमें यह कहा गया कि सदिग्ध वसीयत के आधार पर कोई हक नहीं मिलेगा। दिनांक 20.05.2014 को वसीयत की गई थी। दिनांक 24.05.2014 को नारायण की मृत्यु हो गई। दिनांक 06.06.2014 को नामातंरण संख्या 1460 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। इसकी अपील एस0डी0ओ में की गई। एस0डी0ओ हमीरगढ़ द्वारा दिनांक 25.05.2016 को देवीलाल को अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने के लिए रिमाण्ड की। तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 15.12.2016 को देवीलाल उपस्थित हुआ। जवाब पेश किया। मगर कोई गवाह पेश नहीं किया। नारायण को भीलवाड़ा तहसील ग्राम आठून का निवासी बताकर वसीयत करवायी गई। दोनो गवाह बरडोद के नही है। कानूनी बिन्दु पर वकील रेस्पो0 ने बताया कि एल0आर0एक्ट के तहत वसीयत के मामले में एवीडेंस एक्ट के सैक्शन 63 से 68 महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार वसीयत को प्रूव करवाना होगा कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा। वसीयत साबित नहीं होने पर विरासत की गई है। इस हेतु वकील रेस्पो0 द्वारा आरआरडी0 1984 पेज 391 को प्रस्तुत किया गया। वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ना ही राजस्थान में प्रोबेट की आवश्यकता है। अतः अपील खारिज की जायें।

रिब्युटल में अपीलांट वकील द्वारा बताया गया कि वसीयत की वैधता तहसीलदार तय नहीं करेगा। गवाह कही के भी हो सकते है। नारायण की संपत्ति का विवाद है। मोडा की संपत्ति का नहीं। तहसीलदार द्वारा किस बात की जांच की गई। अपील स्वीकार की जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

विवादित भूमियां मूल रूप से मोडा के नाम पूर्व में दर्ज थी। मोडा की मृत्यु के बाद घीसा गोकुल के नाम भूमि [illegible] गोकुल की मृत्यु के बाद नारायण के नाम आई इस बात में दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं [illegible] में भी कोई विवाद नहीं है। नारायण के दो पत्नियां थी बघतुबाई और नाराय[illegible] है। इस पर कोई विवाद नहीं है और उनके वारिस कौन–कौन है [illegible] विवाद नहीं है। विवाद इस बात पर है कि नामातंरण वसीयत के आधार पर ही खोला जाना था अथवा विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर इस प्रकरण में नारायण द्वारा देवीलाल के पक्ष में दिनांक 20.05.2014 को वसीयत की गई थी तथा दिनांक 24.05.2015 को उसकी मृत्यु होना बताया गया। ग्राम बरडोद में नारायण के दो खाते थे। एक खाता 15 बीघा 10 बिस्वा का था जिसमें नारायण का हिस्सा 1/2 बनता है तथा दूसरा खाता 35 बीघा 2 बिस्वा का है। जिसमें नारायण का हिस्सा 1/4 बनता है। खसरा नम्बर 1979 रकबा 2 बिस्वा है जो शामिल सहखातेदारी में है। नारायण की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत बरडोद द्वारा विरासत के आधार पर नामातंरण स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में की गई थी। जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 25.05.2016 से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामातंरण 1460 दिनांक 06.06.2014 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर आवश्यक सुनवाई कर निर्णय बाबत भेजा गया। न्यायालय इस बात से सहमत है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। मगर यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड भी है तो भी उसे सिद्ध करना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण मे भी वसीयत रजिस्टर्ड है। मगर अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग दिनांक 15.12.2016 के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि देवीलाल द्वारा कोई गवाह एवं दस्तावेज न्यायालय तहसीलदार हमीरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि उसको वसीयत को सिद्ध करना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत 2009(1) आरआरटी 685 भरपूरसिंह बनाम शमसेरसिंह के निर्णित केस में उक्त व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925–धारा 63–साक्ष्य अधिनियम–1872–धारा 68,69,70 व 90–वसीयत–वसीयत को साबित करना वसीयत में संदेहस्पद परिस्थितियां निर्मित की। वसीयत के प्रतिपादक को एक या अधिक अनुप्रमाणित साक्ष्य पेश कर वसीयत का निस्पादन होना साबित करना आवश्यक है। वसीयत रजिस्टर्ड है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वसीयत साबित करने की वैधानिक अपेक्षाओं को निर्मुक्त कर दिया जायें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को साबित करने का अवसर देवीलाल को दिया गया था। मगर उसके द्वारा वसीयत को साबित नहीं करवाया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पैतृक संपत्ति को सीधे ही अन्य विधिक वारिसान के होते हुए किसी एक के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता है। मगर विधिक वारिसानों के होते हुए भी नारायण लाल द्वारा देवीलाल के पक्ष में सारी भूमि वसीयत कर दी गई जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गलत है। न्यायालय वकील रेस्पो0 की इस बात से भी सहमत है कि अपीलांट चाहे तो वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता है। आरआरटी 98 पेज 553 में राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरण नारायण बनाम रूकमा में यह व्यवस्था दी गई है। वसीयतकर्ता अपनी स्वर्जित संपत्ति को ही वसीयत कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में अपीलांट यह सिद्ध नहीं कर पाये है। कि नारायण की सम्पति उसकी स्वर्जित संपत्ति थी। अतः न्यायालय का यह मानना है कि हालांकि नारायण द्वारा देवीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करवायी गई थी। मगर वसीयत को अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सिद्ध नहीं करवाया गया। भूमि नारायण की पैतृक भूमि थी स्वर्जित भूमि नहीं थी। यह बात भी अपीलांट सिद्ध नहीं कर पाया। अतः तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: Self Attested

सभी पक्षो को सुनकर धारा 135(2) में अपने आदेश दिनांक 16.01.2017 से उचित निर्णय लिया है। जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सही रूप से इस प्रकरण में चस्पा होते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। इसी अनुसार इसका निस्तारण किया जाता है।

आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार हम्मीरगढ़ दिनांक 16.01.2017 प्रकरण संख्या 5/2016 सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार हम्मीरगढ़ का निर्णय दिनांक 16.01.2017 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक......................को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested